रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

(I)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234187
CG-DL-E-15032022-234187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943
No. 6] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

परिसीमन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

सं.-1

आ.अ. 6(अ).—परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 के साथ पठित जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 14(4), 60(1) एवं 62 के अनुसरण में तथा इस संबंध में सभी अन्य संबद्ध संवैधानिक तथा सांविधिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग एतद्वारा निम्नलिखित अवधारित करता है:

- लोक सभा में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या पांच (5);
- लोक सभा में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को इस प्रकार आबंटित कुल पांच (5) सीटों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या क्रमशः शून्य (0) और शून्य (0);
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को निर्दिष्ट की जाने वाली सीटों की कुल संख्या नब्बे (90);
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को इस प्रकार निर्दिष्ट कुल नब्बे (90) सीटों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या क्रमशः सात (7) और नौ (9)।

आदेश से,

के. एन. भार, सचिव

अधिसूचना

परिसीमन अधिनियम, 2022 की धारा 9 की उप-धारा 2 के साथ पठित जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 60 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग एतदद्वारा सहयुक्त (एसोसिएट) सदस्यों के विसम्मत प्रस्तावों के साथ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्ताव प्रकाशित करता है और **21 मार्च, 2022 (सोमवार)** को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको अथवा जिसके उपरांत इन प्रस्तावों पर इसके द्वारा आगे और विचार किया जाएगा।

2. इन प्रस्तावों के संबंध में कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव उक्त तारीख को अथवा उससे पहले **सचिव, परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001** के पास पहुंच जाने चाहिए।

प्रस्ताव

- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें (क) संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा और (ख) लोक सभा हेतु निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को विभाजित किया जाएगा, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार तथा निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, को क्रमशः **तालिका-क और तालिका-ख** में दर्शाया जाएगा;
- जहां तालिका क अथवा तालिका ख में यथा प्रदर्शित निर्वाचन क्षेत्र के नाम में कोष्ठकों और शब्दों **(एससी)** द्वारा भेद दिखाया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र में वह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है;
- जहां तालिका क अथवा तालिका ख में यथाप्रदर्शित निर्वाचन क्षेत्र के नाम में कोष्ठकों और शब्दों **(एसटी)** द्वारा भेद दिखाया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र में वह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।

तालिका-क
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका प्रस्तावित विस्तार

क्र. सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार
		1-जिलाः कुपवाड़ा
1	करनाह	करनाह तहसील और **करालपुरा तहसील (भाग)** – गुंदीजोनारेशी और पंजगाम पटवार सर्किल
2	त्रेहगम	त्रेहगम और केरन तहसील, **करालपुरा तहसील (भाग)** - गुंदीजोनारेशी और पंजगाम पटवार सर्किल तथा कुपवाड़ा तहसील (भाग) – 3- गुलगाम और अवूरा पटवार सर्किल
3	कुपवाड़ा	**कुपवाड़ा तहसील (भाग)** - 3-गुलगाम और 4-अवूरा पटवार सर्किल को छोड़कर
4	लोलाब	सोगाम (लोलाब), लालपोरा और माचिल तहसील
5	हंदवाड़ा	विलगाम, दृगमुल्ला, जचालदारा और तरतपोरा (रामहल) तहसील और **हंदवाड़ा (भाग)** – बकइयाकैर, हंदवाड़ा, शोघापोरा, वाडीपोरा, सिराजापुरा और बड़कोट माछीपुरा पटवार सर्किल
6	लंगेट	काज़ियाबाद (क्रालागुंड), लंगेट और कलामाबाद तहसील और **हंदवाड़ा (भाग)** - बकइयाकैर, हंदवाड़ा, शोघापोरा, वाडीपोरा, सिराजापोरा और बड़कोट माछीपुरा पटवार सर्किल को छोड़कर।
		2-जिलाः बारामूला
7	सोपोर	सोपोर और डंगरपोरा तहसीलें
8	रोहामा राफियाबाद	जैंगर, वातेरगाम, रोहामा और डांगीवाचा तहसीलें
9	उरी	उरी और बोनियार तहसीलें
10	बारामूला	नरवाव और बारामूला तहसीलें
11	तंगमर्ग	तंगमर्ग, वागूरा, क्रीरी और खोले तहसीलें
12	कुंजर	क्वारहामा और कुंजर तहसील, **पत्तन तहसील (भाग)** - 6- वानीगम पाईन, 7- वानीगम बाला, 8-तिलगाम और 9- टैपर वारीपोरा पटवार सर्किल।

13	पत्तन	सिंगपोरा तहसील और **पत्तन तहसील (भाग)** - 6- वानीगम पाईन, 7- वानीगम बाला, 8- तिलगाम और 9- टैपर वारीपोरा पटवार सर्किल को छोड़कर।
	3-जिलाः बांदीपोरा	
14	सोनावरी	सोनावारी तहसील, सुंबल नगर पालिका 2 (शहरी स्थानीय निकाय), अजास तहसील, हाजिन तहसील और हाजिन नगर पालिका 3 (शहरी स्थानीय निकाय)।
15	बांदीपोरा	अलूसा और बांदीपोरा तहसीलें और बांदीपोरा नगर पालिका 1 (शहरी स्थानीय निकाय)।
16	गुरेज(अजजा)	गुरेज और तुलैल तहसीलें।
	4-जिलाः गंदेरबल	
17	कंगन (अजजा)	कंगन और गुंड तहसीलें, वन ब्लॉक कंगनी गुंड और **लार तहसील (भाग)** – वाटलर पटवार सर्किल।
18	गंदेरबल	तुलमुल्ला (खीर भवानी), वकूरा और गंदेरबल तहसीलें और **लार तहसील (भाग)** - वाटलर पटवार सर्किल को छोड़कर।
	5-जिलाः श्रीनगर	
19	हजरतबल	उत्तर श्रीनगर तहसील।
20	खानयार	**खानयार तहसील (भाग)** - 9 - एस.आर. गंज और 10- बराड़ी नंबल पटवार सर्किल को छोड़कर।
21	हबाकादल	**दक्षिण श्रीनगर (भाग)** - 1-सोनावर, 2- मैसूमा, 4- शिवपोरा, 5- कुर्सू पदशाही बाग, 9- नौरसिंह गढ़ और 10- बरजुल्ला पटवार सर्किल और **खानयार तहसील (भाग)** को छोड़कर – 9 - एस.आर. गंज और 10- बराड़ी नंबल पटवार सर्किलों को छोड़कर।
22	सोनवर	पंथा चौक तहसील और **दक्षिण श्रीनगर तहसील (भाग)** – 1- सोनावर, 2- मैसूमा, 4- शिवपोरा, 5- कुर्सू पदशाही बाग, 9- नौरसिंह गढ़ और 10- बरजुल्ला पटवार सर्किलें।
23	चानापोरा	चानापोरा तहसील।
24	जूनीमार	**ईदगाह तहसील (भाग)** - 1- बुचपोरा, 2- उमरहेयर, 3- जूनीमार, 4- ओवांता बावन, 5- भगत शूरू और 6- अंचार पटवार सर्किलें।
25	ईदगाह	**ईदगाह तहसील (भाग)** -1- बुचपोरा, 2-उमेरहेयर, 3- जूनीमार पटवार सर्किलें, 4-ओवांता बावन, 5- भगत शूरू और 6- अंचार पटवार सर्किलों को छोड़कर।
26	सेंट्रल शाल्टेंग	सेंट्रल शाल्टेंग तहसील।
	6-जिलाः बडगाम	
27	बडगाम	नारबल तहसील और **बडगम तहसील (भाग)** – इचाकूट और गुडसाठू पटवार सर्किलों को छोड़कर।
28	बीरवाह	मगम और बीरवाह तहसीलें।
29	खानसाहिब	खग और खानसाहब तहसीलें।
30	चरार-ए-शरीफ	चरार-ए-शरीफ तहसील और **चादुरा तहसील (भाग)** – 2- रोपोरा नामतिहाल, 3-वाथपोरा, 4- बाटापोरा, 5- दौलतपोरा, 6-वाडीपोरा, 14- हयातपोरा पटवार सर्किलों एवं नगर समिति चादुरा को छोड़कर, **बडगाम तहसील (भाग)** - इचकूट और गुडसाठू पटवार सर्किलें।
31	चादूरा	बी.के. पोरा तहसील और **चादुरा तहसील (भाग)** – 2- रोपोरा नमतिहाल, 3-वाथपोरा, 4- बाटापोरा, 5- दौलतपोरा, 6- वाडीपोरा, 14- हयातपोरा पटवार सर्किलें, नगर समिति चादुरा।
	7-जिलाः पुलवामा	
32	पमपोरे	पमपोरे, काकापोरा तहसील, पमपोरे नगर पालिका/नगर और ख्रयू नगर पालिका/नगर।
33	ट्राल	ट्राल तहसील, अरिपाल तहसील, त्राल नगर पालिका / नगर, **अवंतिपोरा तहसील (भाग)** - 1- अवंतिपोरा, 5- नूरपोरा और 6- मिडुरा पटवार सर्किलों और अवंतिपोरा नगर पालिका/नगर।
34	पुलवामा	**पुलवामा तहसील (भाग)** – 2- कंगन, 5- मुर्रान, 6- मितरीगम, 7- करीमाबाद, 11- बनूरा और 16- वाहीबुग पटवार सर्किलें, पुलवामा नगर पालिका / नगर को छोड़कर, **अवंतिपोरा तहसील (भाग)** -1- अवंतिपोरा, 5- नूरपोरा और 6- मिडुरा पटवार सर्किलों को छोड़कर।
35	राजपोरा	लिटर शाहूरा तहसील, राजपोरा तहसील, **पुलवामा तहसील (भाग)** – 2- कंगन, 5- मुर्रान,

		6- मितरीगम, 7- करीमाबाद, 11- बुनूरा और 16- वाहीबुग पटवार सर्किलें।
8-जिलाः शोपियान		
36	जैनपोरा	जैनपोरा, चित्रगाम, बारबुग इमामसाहिब और हरमैन तहसीलें, **शोपियान तहसील (भाग)** - डंगरपोरा, ट्रेंज़, किलोरा मलिकगुंड, नादीगाम, गानोवपोरा आरिष, डन्गाम, प्रतापपोरा और बेमनिपोरा पटवार सर्किलें।
37	शोपियान	केल्लर और कीगम तहसील, **शोपियान तहसील (भाग)** - डंगेरपोरा, ट्रेंज़, किलोरा मलिकगुंड, नादीगाम, गानोवपोरा आरिष, डन्गाम, प्रतापपोरा और बेमनिपोरा पटवार सर्किलों को छोड़कर
9-जिलाः कुलगाम		
38	डी.एच पोरा	डीएच पोरा और पहलू तहसीलें।
39	कुलगाम	कुलगाम और यारीपोरा तहसीलें।
40	देवसर	कैमोह, फ्रिसाल और देवसर तहसीलें।
10-जिलाः अनंतनाग		
41	डोरू	डोरू और शाहाबाद तहसीलें, **कोकरनाग तहसील (भाग)** – भाई, ओई बुम़डूरा, अकिनगाम, सागम और नगाम पटवार सर्किलें।
42	कोकरनाग (अजजा)	लारनू तहसील, **कोकरनाग तहसील (भाग)** - भाई, ओई बुम़डूरा, अकिनगाम, सागम और नगाम पटवार सर्किलों को छोड़कर और **शानगुस तहसील (भाग)**– चकलीपोरा, चत्तरगुल और उतारसू पटवार सर्किलें।
43	अनंतनाग पश्चिम	काजीगुंड तहसील, **अनंतनाग तहसील (भाग)** - सी-खानाबल, ई-रुहू, एफ-उरहानहॉल, जी-एल.जी. पोरा, एच- खांडीपहाड़ी, आई-के.जी. रैना, जे-निपोरा, के- हारदु सिचाएं, एल-कामद, एम-साहिबाबाद और एन-इमोह पटवार सर्किलें।
44	अनंतनाग	**अनंतनाग तहसील (भाग)** - सी-खानाबल, ई-रुहू, एफ- उरहानहॉल, जी-एल.जी. पोरा, एच-खांडीपहाड़ी, आई-के.जी. रैना, जे- निपोरा, के- हारदू सिचाएं, एल-कामद, एम-साहिबाबाद और एन-इमोह पटवार सर्किलों को छोड़कर।
45	बिजबेहरा	बिजबेहरा तहसील
46	शानगुस- अनंतनाग पूर्वी	अनंतनाग पूर्वी तहसील, **शानगुस तहसील (भाग)** – चकलीपोरा, चत्तरगुल और उत्तरासू पटवार सर्किलों को छोड़कर।
47	पहलगाम	पहलगाम, सालार और श्रीगुफवाड़ा तहसीलें।
11-जिलाः किश्तवाड़		
48	इंदरवाल	बौंजवाह, चाटरू, मारवाह और वारवां तहसीलें, **किश्तवाड़ तहसील (भाग)**–केशवां पटवार सर्किलें, **मुगलमैदान तहसील (भाग)**– मूलछितर पटवार सर्किलों को छोड़कर और **द्राबशल्ला तहसील (भाग)**– बालग्रान पटवार सर्किल।
49	किश्तवाड़	दच्छन तहसील, **द्राबशल्ला तहसील (भाग)**- बालग्रान पटवार सर्किल को छोड़कर और **किश्तवाड़ तहसील (भाग)** - दूल, पोच्छल और केशवान पटवार सर्किलों को छोड़कर और **मुगलमैदान तहसील (भाग)** - मूलछितर पटवार सर्किल।
50	पाडेर	अथोली, नागसेनी और माछिल तहसील, **किश्तवाड़ तहसील (भाग)**-दूल और पोच्छल पटवार सर्किल।
12-जिलाः डोडा		
51	भदरवाह	भदरवाह, चिरल्ला, भेल्ला और भल्ला तहसील, **कहारा तहसील (भाग)** – जौरा पटवार सर्किल, **भालेसा तहसील (भाग)** – चिल्ली पटवार सर्किल को छोड़कर और **थाथरी तहसील (भाग)** – जांगलावर आंशिक पटवार सर्किल को छोड़कर।
52	डोडा	चिली पिंगल, गुंडना, मोहल्ला, फिगसू और भरथ बगला तहसीलें, **डोडा तहसील (भाग)**- डोडा, अर्नोर्री, धार, डोडा नगर समिति, उद्यानपुर (आंशिक रूप से) और धारा पटवार सर्किलें, **थाथरी तहसील (भाग)** – जंगलावर आंशिक रूप से, **कहारा तहसील (भाग)** - जौरा पटवार सर्किल को छोड़कर और **भालेसा तहसील (भाग)** - चिल्ली पटवार सर्किल

53	डोडा पश्चिम	मरमत, अस्सार, कास्तीगढ़ और भागवाह तहसील, **डोडा तहसील (भाग)** - डोडा, अर्नोर्रा, धार, डोडा नगर समिति, उद्यानपुर (आंशिक रूप से) और धारा पटवार सर्किलों को छोड़कर।
		13-जिलाः रामबन
54	रामबन	बटोटे और राजगढ़ तहसीलें **उखराल तहसील (भाग)** – पोगल पटवार सर्किल को छोड़कर, **रामबन तहसील (भाग)** – सोम्बर- हरोग पटवार सर्किल को छोड़कर।
55	बनिहाल	बनिहाल, खारी, गुल और रामसू तहसीलें, **उखराल तहसील (भाग)** – पोगल पटवार सर्किल, **रामबन तहसील (भाग)** – सोम्बर- हरोग पटवार सर्किल
		14-जिलाः रियासी
56	माहौर (अजजा)	माहौर और चस्साना तहसीलें, **थुरू तहसील (भाग)** – कांथी पटवार सर्किल को छोड़कर।
57	रियासी	पौनी, थाकराकोट और अरनास तहसीलें, **रियासी तहसील (भाग)** - भाबर ब्राह्मण, भगा कोटली और कोटली बजलियन पटवार सर्किलों को छोड़कर और **थुरू तहसील (भाग)** - कांथी पटवार सर्किल
58	श्री माता वैष्णो देवी	कटरा एवं भोमग तहसीलें, **रियासी तहसील (भाग)**- भाबर ब्राह्मण, भगा कोटली एवं कोटली बजलियान पटवार सर्किलें ।
		15-जिलाः उधमपुर
59	उधमपुर पश्चिम	मुंगरी और पंचारी तहसीलें, **उधमपुर तहसील (भाग)** – संबल, बैरियन, जिब, रहमबल, पडानू, बरोला, हरटेरियन, मुत्तल, चक रखवालान, माली, बिशाल जट्टन, उधमपुर नगर परिषद, मानसर, क्रिमची, त्रिशी, डेब्रिया, समुंदरानी , चखेर, सियाल जट्टन, कोटली जीजान, मंगियोट, टोपे, संगूर और संसू पटवार सर्किलें ।
60	उधमपुर पूर्व	मजल्टा तहसील, **उधमपुर तहसील (भाग)** – संबल, बैरियन, जिब, रहमबल, पडानू, बरोला, हरटेरियन, मुत्तल, चक रखवालान, माली, बिशाल जट्टन, उधमपुर नगर परिषद, मानसर, क्रिमची, त्रिशी, डेब्रिया, समुंद्रानी, चखेर, सियाल जट्टन, कोटली जीजान, मंगियोटे, टोपे, संगूर, संसू, बाली, मानता, लुधा, समरोली, चिरडी, जखैन, ओसू, पखलाई, ओमाला और लड्डन पटवार सर्किलों को छोड़कर और **रामनगर तहसील (भाग)** - कोगरमढ़ पटवार सर्किल ।
61	चेनानी	चेनानी तहसील, **लाट्टी तहसील (भाग)** - पचौंद, लाट्टी और सिरा पटवार सर्किलें, **रामनगर तहसील (भाग)** - घोरडी, नाला घोरान, हरटेरियन, धंदाल और बारमीन पटवार सर्किलों और **उधमपुर तहसील (भाग)** - बाली, मानता, लुधा, समरोली, चिरडी , जखैन, ओसू, पखलाई, ओमाला और लड्डन पटवार सर्किलें ।
62	रामनगर (अजा)	बसंतगढ़ तहसील, **रामनगर तहसील (भाग)** - घोरडी, नाला घोरान, हरटेरियन, धंदाल, कोगरमढ़ और बारमीन पटवार सर्किलों को छोड़कर और **लाट्टी तहसील (भाग)** – पचौंद, लाट्टी और सिरा पटवार सर्किलों को छोड़कर।
		16-जिलाः कठुआ
63	बानी	बानी और लोहई मल्हार तहसीलें।
64	बिल्लावर	बिल्लावर और रामकोट तहसीलें।
65	बासोहली	बासोहली और महानपुर तहसीलें, **कठुआ तहसील (भाग)** – 2- बसंतपुर और 27- थेइन पटवार सर्किलें ।
66	कठुआ उत्तर	डेंगा अंब तहसील, **कठुआ तहसील (भाग)** - 1- बरवाल, 3- भुरथैन, 4-बुढ़ी, 5- चाक सकता, 9- फोरलेन, 11- हटली, 14- जुथाना, 15- कठेरा, 19- लोआगाटे, 21 - नानन, 22- फलोटे, 26- ताराहारा और 28- त्रिदवान पटवार सर्किलें और **मरहीन तहसील (भाग)**-1- अमला, 2-बल्हार, 3-बन, 4-छन रोरियन, 5- धमाल. 14- हमीरपुर, 15- जोगियाल, 17- किशनपुर कंडी, 23- मुठी हरदो और 26- सेसवान पटवार सर्किलें ।
67	कठुआ दक्षिण (अजा)	नगरी तहसील और **कठुआ तहसील (भाग)** –1- बरवाल, 3- भुरथैन, 4- बुधी, 5- चाक सकता, 9- पेरलैन, 11- हटली, 14- जुथाना, 15- कठेरा, 19- लोआगाटे, 21- नानन, 22- फलोटे, 26- तराहराह, 28- त्रिदवान 2- बसंतपुर और 27- थेइन पटवार सर्किलों को छोड़कर
68	हीरानगर	हीरानगर और **मरहीन तहसील (भाग)** – 1 - अमला, 2- बल्हार, 3- बन, 4- छन रोरियन, 5- धमाल 14- हमीरपुर, 15- जोगियाल, 17- किशनपुर कंडी, 23- मुठी हरदो और 26-

		सेसवान पटवार सर्किलों को छोड़कर।
	17-जिलाः साम्बा	
69	रामगढ़ (अजा)	रामगढ़ और राजपुरा तहसीलें और **साम्बा (भाग)** – कटली, रामनगर और पिंगडोक पटवार सर्किलें।
70	साम्बा	घगवाल तहसील, **साम्बा तहसील (भाग)**–कतली, रामनगर और पिंगडोक पटवार सर्किलों को छोड़कर और **विजयपुर तहसील (भाग)** – डागोर और गुराह सलाथिया पटवार सर्किलें।
71	विजयपुर	बारी ब्राह्मणा तहसील और **विजयपुर तहसील (भाग)** - डागोर और गुराह सलाथिया पटवार सर्किलों को छोड़कर।
	18-जिलाः जम्मू	
72	बिश्नाह (अजा)	बिश्नाह और अरनिया तहसीलें, **आर.एस. पुरा तहसील (भाग)**- मरालियन पटवार सर्किल।
73	सुचेतगढ़ (अजा)	सुचेतगढ़ तहसील, **आर.एस. पुरा तहसील (भाग)**-मरालियन, दरसोपुर, आर.एस. पुरा खास और कोटली शाह डौला पटवार सर्किलों एवं नगर समिति आर.एस. पुरा को छोड़कर।
74	आर.एस. पुरा -जम्मू दक्षिण	**जम्मू दक्षिण तहसील (भाग)**-गडीगढ़, सतवारी, हक्का आंशिक, खंडवाल आंशिक और डिगियाना पटवार सर्किलें, **जम्मू नगर निगम (भाग)**-वार्ड नं. 22, 23, 55, 56, 57, 58 और 73, **बाहु (भाग)**-चावड़ी पटवार सर्किल, वार्ड नं. 68, 69 और 70 और **आर.एस. पुरा तहसील (भाग)**–दसरोपुर, आर.एस. पुरा खास और कोटली शाह डौला पटवार सर्किलें, नगर समिति, आर.एस. पुरा।
75	बाहु	**बाहु तहसील (भाग)- बाहु**, सुंजवां और बाहु आंशिक पटवार सर्किलें जेएमसी वार्ड नं. 20, 21, 42, 43,44, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 74 सहित और **जम्मू दक्षिण तहसील (भाग)**-वार्ड नं. 45 और 46, जम्मू कैंट।
76	जम्मू पूर्व	**जम्मू तहसील (भाग)** - बैन बजल और एथम पटवार सर्किलें, **नगरोटा तहसील (भाग)**-जगती पटवार सर्किल और **जम्मू नगर समिति (भाग)** - वार्ड नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 71.
77	भलवाल - नगरोटा	दंसाल तहसील, **भलवाल तहसील (भाग)** - भलवाल आंशिक पटवार सर्किल और कोटे पटवार सर्किल को छोड़कर **नगरोटा तहसील (भाग)** - जगती पटवार सर्किल को छोड़कर **जम्मू तहसील (भाग)** - सूरींसर, सगून और पौंथल पटवार सर्किलें।
78	जम्मू पश्चिम	**जम्मू नगर निगम (भाग)**-वार्ड संख्या- 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40 और 41 और **जम्मू पश्चिम (भाग)** - मंडल (आंशिक) और गोले पटवार सर्किलें।
79	जम्मू उत्तर	जम्मू उत्तर तहसील जेएमसी वार्ड नं. 37, 38, 59 से 67 सहित **जम्मू (भाग) - वार्ड नं.** 34 से 36 एवं भलवाल तहसील (भाग)- भलवाल आंशिक और कोटे पटवार सर्किलें।
80	मढ़ (अजा)	मंडल तहसील, मढ़ तहसील जेएमसी वार्ड नं. - 72 और 75 सहित
81	अखनूर (अजा)	अखनूर, परगवाल और जौरियन तहसीलें।
82	खुर	खुर, खराह बल्ली, मैरा मंड्रियन और चौकी चौरा तहसीलें।
	19-जिलाः राजौरी	
83	कलाकोटे/सुंदरबनी	सुंदरबनी, कलाकोटे, तरयथ और सियोट तहसीलें।
84	नौशेरा	किला दरहाल, बेरी पत्तन और नौशेरा तहसीलें।
85	राजौरी (अजजा)	**राजौरी तहसील (भाग)**-11-सोहना पटवार सर्किल को छोड़कर
86	दरहल (अजजा)	दरहल, कोटेरंका और खवास तहसीलें।
87	थाना मंडी (अजजा)	थाना मंडी और मंजाकोट तहसीलें, **राजौरी तहसील (भाग)** – 11- सोहना पटवार सर्किल।
	20-जिलाः पुंछ	
88	सूरनकोट (अजजा)	सूरनकोट तहसील, **हवेली तहसील (भाग)** - खानेटर, सेरी ख्वाजा और सेंधारा पटवार सर्किलें।

89	पुंछ हवेली	मंडी तहसील, **हवेली तहसील (भाग)**-खानेटर, सेरी ख्वाजा और सेंधारा पटवार सर्किलों को छोड़कर।
90	मेन्धार (अजजा)	बालाकोट, मनकोट और मेन्धार तहसीलें।

तालिका-ख

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका प्रस्तावित विस्तार

क्रम सं. और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	**लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में विस्तार**
1-बारामूला	1-करनाह, 2-त्रेहगाम, 3-कुपवाड़ा, 4-लोलाब, 5-हंदवाड़ा, 6-लंगेट, 7-सोपोर, 8-रोहामा रफियाबाद, 9-उरी, 10-बारामूला, 11-तंगमर्ग, 12-कुंजर, 13-पत्तन, 14-सोनावारी, 15-बांदीपोरा, 16-गुरेज़ (अजजा), 27-बडगाम और 28-बीरवाह।
2-श्रीनगर	17-कंगन (अजजा), 18-गंदेरबल, 19-हजरतबल, 20-खानयार, 21- हबाकादल, 22-सोनवार, 23-चानापोरा, 24-जूनीमार, 25-ईदगाह, 26-सेंट्रल शाल्टेंग, 29-खानसाहिब, 30-चरार-ए-शरीफ, 31-चादूरा, 32-पंपोर, 33-त्राल, 34-पुलवामा, 35-राजपोरा और 37-शोपियां।
3-अनंतनाग-राजौरी	36-जैनापोरा, 38-डी.एच. पोरा, 39-कुलगाम, 40-देवसर, 41-डोरू, 42-कोकरनाग (अजजा), 43-अनंतनाग पश्चिम, 44- अनंतनाग, 45-बिजबेहरा, 46- शानगुस-अनंतनाग पूर्वी, 47-पहलगाम, 84-नौशेरा, 85-राजौरी (अजजा) 86-दरहल (अजजा), 87- थाना मंडी (अजजा), 88-सूरनकोट (अजजा), 89-पुंछ हवेली (अजजा) और 90- मेन्धार (अजजा)।
4- उधमपुर	48-इन्दरवल, 49-किश्तवाड़, 50-पाडेर, 51-भद्रवाह 52-डोडा, 53-डोडा पश्चिम, 54-रामबन, 55-बनिहाल, 59-उधमपुर पश्चिम, 60-उधमपुर पूर्व, 61-चेनानी, 62-रामनगर (अजा), 63-बानी, 64- बिल्लावर, 65-बसोहली, 66-कठुआ उत्तर 67-कठुआ दक्षिण (अजा) और 68-हीरानगर।
5-जम्मू	56-महोर (अजजा), 57-रियासी, 58-श्री माता वैष्णो देवी, 69- रामगढ़ (अजा), 70-सांबा, 71-विजयपुर, 72-बिश्नाह (अजा) 73-सुचेतगढ़ (अजा), 74 -आरएस पुरा-जम्मू दक्षिण, 75- बाहु, 76-जम्मू पूर्व, 77-भलवाल-नगरोटा, 78-जम्मू पश्चिम, 79-जम्मू उत्तर, 80-मढ़ (अजा), 81-अखनूर (अजा), 82-खुर और 83-कालाकोट/सुंदरबनी।

सहसदस्यों से प्राप्त विसम्मत प्रस्ताव

{I}

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण

भारत परिसीमन आयोग

अशोक होटल, तीसरी मंजिल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

विषय

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। दिनांक 26 फरवरी, 2022 को उपलब्ध कराए गए दिनांक 25 फरवरी, 2022 के प्रारूप आधार पत्र/प्रारूप प्रस्ताव।

के मामले में

दिनांक 26 फरवरी, 2022 को उपलब्ध कराए गए दिनांक 25 फरवरी, 2022 के प्रारूप आधार पत्र/प्रारूप प्रस्ताव पर विसम्मत प्रस्ताव/आपत्तियां।

पृष्ठभूमिक तथ्य

1. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग के गठन और आयोग द्वारा किए गए परिसीमन कार्य के बारे में आपत्ति को समझने के लिए इसके हालिया इतिहास और पृष्ठभूमिक तथ्यों पर करीबी नज़र डालना आवश्यक है।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य (जिसका दर्जा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आक्षेपित एक संवैधानिक रूप से संदिग्ध कानून के तहत कम करके अब संघ राज्य क्षेत्र कर दिया गया) ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशों के प्रति अपने संधि संबंधी दायित्वों से मुक्ति प्राप्त की थी और एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा हासिल कर लिया था। महाराजा कहे जाने वाले इसके शासक में जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 के तहत सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां निहित थीं। इसके शासक 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए दो राष्ट्रों में से किसी में भी शामिल नहीं हुए और इसके बजाय उन्होंने दोनों राष्ट्रों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हुए स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। हालाँकि, उन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को तीन विषयों-रक्षा, विदेशी मामले और संचार पर भारत राष्ट्र में शामिल होने का फैसला किया और शेष सभी विषयों पर अपना अधिकार बनाए रखा। इस राज्यारोहण को स्वीकार कर लिया गया और इसलिए अंगीकार पत्र में निर्धारित शर्तों को भी स्वीकार कर लिया गया। भारत का संविधान निर्मित होने की प्रक्रिया में था और जम्मू और कश्मीर का अंगीकरण स्वीकार करते समय किए गए वायदे के अनुरूप संविधान में जम्मू और कश्मीर को 'सीमित संप्रभुता' की गारंटी देने का प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया था। यह संवैधानिक गारंटी, संविधान के अनुच्छेद 370 के रूप में अस्तित्व में आई। दिनांक 17 नवंबर 1949 को शासक ने केवल राज्य के लिए लागू सीमा तक ही भारत के संविधान का अनुसमर्थन किया। यह ध्यान देने योग्य है कि उस तारीख को, संविधान ने केवल अनुच्छेद 370 को क्रियान्वित किया और इसके आधार पर अनुच्छेद 1 राज्य पर लागू हो गया था। अनुच्छेद 370 ने संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण की व्यवस्था का निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ संघ और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र की रुपरेखा प्रस्तुत करने के लिए राज्य के लिए अलग संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा का प्रावधान भी किया गया था।

3. राज्य की संविधान सभा अप्रैल 1951 में आहूत की गई थी। हालांकि, नागरिकता, राजतंत्र, मौलिक अधिकार, अवशिष्ट शक्तियों जैसे कुछ तात्कालिक संवैधानिक मामलों के लिए राज्य के संविधान के प्रारूपण और प्रारंभण की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी और इनके तत्काल समाधान की आवश्यकता थी। संघ सरकार और राज्य सरकार ने तदनुसार इन सभी महत्वपूर्ण मामलों का समाधान करने के लिए 1952 में एक करार किया जिसे दिल्ली करार के रुप में जाना जाता है। दिल्ली करार को 7 अगस्त 1952 को संसद द्वारा और 18 अगस्त 1952 को राज्य संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस करार ने नागरिकता, मौलिक अधिकारों, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, आपातकालीन शक्तियों आदि का विस्तार करते हुए राज्य को अवशिष्ट संप्रभुता या आंतरिक स्वायत्तता की गारंटी दी। राज्य को उन सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकार क्षेत्र की गारंटी दी गई थी जो विषय संघ को प्रदान नहीं किए गए थे। इस प्रकार, केवल अनुच्छेद 370 ने ही जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जे की गारंटी नहीं दी थी, बल्कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा या आंतरिक स्वायत्तता अनुच्छेद 370 के अनाधीने थी और इसकी गारंटी 1952 में किए गए दिल्ली करार में भी दी गई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1956 को राज्य के संविधान को अंगीकार किया। यह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। राज्य के संविधान की शुरुआत का पूरे राजनीतिक जगत के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया। राज्य के संविधान ने आंतरिक स्वायत्तता को दोहराया और इसका प्रावधान किया, जिसे जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा भी कहा जाता है।

4. संघ और राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों को शासित करने के लिए विकसित व्यवस्था के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन राज्य के अनन्य क्षेत्र में आता है। राज्य के संविधान का भाग VI "राज्य विधानमंडल - राज्य विधानमंडल की संरचना" से संबंधित है। राज्य के संविधान की धारा 47(3) में लिखा है: 47(1)..................(2)…………(3) प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, विस्तार और सीमाओं को ऐसे प्राधिकार द्वारा और ऐसे तरीके से पुनर्समायोजित किया जाए जो विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे; बशर्ते कि इस तरह का पुनर्समायोजन विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगा जब तक कि मौजूदा विधानसभा का विघटन न हो जाए।

5. राज्य विधानमंडल ने राज्य संविधान की धारा 47 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम में प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान था। जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, परिसीमन कार्य किया गया और विधानसभा सीटों को परिसीमित किया गया। अनुच्छेद 170 में संशोधन और इस परंतुक कि "जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की गई पहली

जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते" तब तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाना है, को जोड़ने के मद्देनज़र राज्य के संविधान में भी ऐसा ही संशोधन किया गया था, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 3 में संशोधन किया गया था। इस प्रकार, देश के बाकी हिस्सों की तरह परिसीमन कार्य वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़ें उपलब्ध होने के बाद किया जाना था।

6. राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 का अधिक्रमण करते हुए भारत के संविधान को पूरे राज्य में इसकी संपूर्णता में लागू करते हुए संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश सी.ओ. 272 पारित किया। आदेश सीओ 272 के बाद सी.ओ. 273 पारित किया गया जिसमें यह घोषणा की गई कि राज्य पर संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने वाले खंड को छोड़कर अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को राज्य सभा ने जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) विधेयक, 2019 पारित किया जिसके तहत राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। यह अधिनियम 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया था। 5 अगस्त 2019 का सीओ. 272, 6 अगस्त 2019 का सी.ओ. 273 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को उसके विशेष संवैधानिक दर्जे से वंचित कर दिया और जम्मू और कश्मीर राज्य के दर्जे को घटाकर इसे दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन को जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 सहित कुछेक सौ राज्य क़ानूनों को निरस्त करने और नए संघ राज्य क्षेत्र में परिसीमन अधिनियम, 2002 सहित सौ से अधिक केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए एक साधन भी बनाया गया था।

7. 5 और 6 अगस्त 2019 को उठाए गए सभी कदम अर्थात् सीओ, 272, सीओ. 273 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, संविधान की भावना पर घोर प्रहार करते हुए निहायत असंवैधानिक और न्यायिक संवीक्षा के समक्ष खड़े रह पाने में असमर्थ होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लगभग 10 याचिकाओँ में इन आदेशों और अधिनियमों पर सवाल उठाया गया है, जिनमें से अधिकांश याचिकाएं अगस्त 2019 में ही दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने अकाट्य और ठोस संवैधानिक आधारों पर सीओ 272 और सीओ 273 आदेश और पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्राधिकारों पर सवाल उठाएं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाओं पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने और याचिकाओं को माननीय न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को संदर्भित करने की कृपा की है। पांच न्यायाधीशों की माननीय संवैधानिक पीठ ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है, मामले की कुछेक बार सुनवाई की लेकिन उसके बाद सुनवाई संभव नहीं हो पाई और कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसमें देरी हो गई। प्रत्यक्ष सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद, मामलों के आगे बढ़ने और निकट भविष्य में सुनवाई होने की उम्मीद है।

<u>सामने आईं आपत्तियां</u>

8. माननीय परिसीमन आयोग इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकता है कि जिस कानून की प्रयोज्यता के तहत आयोग का गठन किया गया है और जिस कानून को आयोग को लागू करना है और जिस कानून के अंतर्गत आयोग को अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, वे संवैधानिक रूप से संदिग्ध कानून हैं क्योंकि उनके प्राधिकार या उनकी संवैधानिकता, देश के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय की न्यायिक संवीक्षा के अधीन है। हमारे जैसी शासन व्यवस्था द्वारा शासित संवैधानिक लोकतंत्र में संवैधानिक नीति, नैतिकता और औचित्य के मूलभूत सिद्धांतों के लिए इस माननीय आयोग सहित राज्य के सभी अंगों, सभी राज्य पदाधिकारियों और सरकारी और अर्ध-सरकारी संवैधानिक निकायों और संस्थानों से यह अपेक्षित होता है कि वे ऐसे किसी कानून को क्रियान्वित, अधिनियमित या उसके अधीन शक्तियों का प्रयोग न करें जिसकी संवैधानिक वैधता और प्राधिकार की जांच माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही हो। पीठ को सुशोभित करने वाले देश के जाने-माने कानूनी विद्वान के रूप में आयोग के माननीय अध्यक्ष, इस मूल सिद्धांत से भली-भांति वाकिफ हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिकारातीत और असंवैधानिकता के आधार पर आक्षेपित और संविधान पीठ द्वारा संवीक्षा के अधीन कानून का कार्यान्वयन टाला जाना चाहिए, क्योंकि चुनौती के दौरान इसका कार्यान्वयन, न्यायालय की अवहेलना हो सकता है और फैसले को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारी विनम्र राय में माननीय आयोग को वर्तमान परिसीमन कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

9. परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत गठित माननीय आयोग को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए कहा गया है। माननीय आयोग कृपया इस बात से अवगत हो सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं में अन्य

प्रश्नों के साथ-साथ इन प्रश्नों के उत्तर की भी अपेक्षा होगी कि: क्या किसी राज्य के दर्जे को घटाना और एक राज्य को दो या दो से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करना संविधान के तहत अनुमत है। हमें यह स्मरण रखने की जरूरत है कि भारत के संविधान के तहत भारत राज्यों का एक संघ है। क्या किसी राज्य को अलग करने से उसकी स्थिति और पहचान को नुकसान होगा – यह देश के संघीय चरित्र के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना होना अभिनिर्धारित किया गया है और इसलिए यह अननुमेय और असंवैधानिक होगा। क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356, के तहत असाधारण और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 3 परंतुक 1 और 2 को निलंबित करने की अनुमति थी, जब निलंबित प्रावधान राष्ट्रपति शासन के दौरान सुचारू प्रशासन को चलाने के लिए असंबंधित थे। क्या अनुच्छेद 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में शामिल संवैधानिक रक्षापायों और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था और सख्ती से अनुसरण किया गया था, यदि किसी भी तरह राज्य के विभाजन और इसके दर्जे को कम करना सोचा जाए भले ही वह संभव होना न माना जाए। क्या जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 का निरसन कानून के अनुसार था और क्या जम्मू और कश्मीर में परिसीमन अधिनियम 2002 को लागू करना कानून के तहत अनुमत था। क्या जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संविधान का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

10. याचिकाओं की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठने वाले उपरोक्त और ऐसे सभी प्रश्नों का ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार प्रश्न हैं जो मामले की जड़ तक जाता हैं और माननीय आयोग को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर उचित ध्यान देते हुए, इस कार्य को आगे बढ़ाना बंद करना चाहिए और 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 के सीओ 272 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर आक्षेपित याचिकाओं के बैच में न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

11. जम्मू-कश्मीर का संविधान (राज्य का संविधान) संविधान की शक्ति का प्रयोग करते हुए विधिवत रूप से आहूत संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। संविधान को संसद या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। आज की तारीख में राज्य का संविधान अस्तित्व में है। इसमें वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन का प्रावधान है। जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 में भी 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन का प्रावधान है। देश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जाना है। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो परिसीमन की प्रक्रिया को वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए आस्थगित किया जाना चाहिए। परिसीमन कार्य के लिए जम्मू और कश्मीर को अलग करने का कोई कारण नहीं है, जब अंतर्निहित तर्क और सभी प्रासंगिक कारक इस तरह की कवायद को वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक आस्थगित करने की वकालत करते हैं। जो पूरे देश के लिए अच्छा है वह जम्मू और कश्मीर के लिए भी अच्छा होना चाहिए। आयोग को इस तथ्य का तब और अधिक संज्ञान लेना चाहिए, जब आयोग ने स्वयं ही असम में परिसीमन कवायद को आस्थगित कर दिया हो।

12. देश के बाकी हिस्सों से एक दशक से अधिक समय पहले परिसीमन कवायद को न्यायसंगत ठहराने के लिए दिया गया तर्क यह है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रावधान किया गया था और चूंकि 7 बढ़ी हुई सीटों का आवंटन किया जाना था, इसलिए यह आवश्यक था कि इस तरह की कवायद शुरू की जाए। कम से कम कहा जाए तो यह तर्क दिखावटी है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आंध्र प्रदेश के मामले में 50 विधानसभा सीटों और तेलंगाना के मामले में 34 विधानसभा सीटों की वृद्धि का प्रावधान था। इस वृद्धि ने परिसीमन कवायद को त्वरित नहीं किया और विधानसभा चुनाव नए परिसीमन कवायद के बिना ही आयोजित किए गए। वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद देश में परिसीमन से पहले किसी भी परिसीमन कवायद को करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। असम में, चुनाव बिना परिसीमन के हुए थे, हालांकि परिसीमन आयोग के गठन के साथ प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उक्त पृष्ठभूमि में, सही तरीका यह होगा कि परिसीमन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए और वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए जाने के बाद देश में इस तरह की कवायद के साथ इसे शुरु किया जाए, जैसा कि अनुच्छेद 170 में प्रावधान किया गया है और राज्य के संविधान की धारा 47 में भी परिकल्पित है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मौजूदा परिसीमन के अनुसार आयोजित किए जा सकते हैं जैसा कि आंध्र प्रदेश, असम और तेलंगाना के मामले में किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5वें और 6वें निर्णयों की लंबित

चुनौतियों के कारण यह प्रक्रिया वांछित भी होगी और उचित भी। संसद ने अपने विवेक से वर्ष 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक पूरे देश में परिसीमन को आस्थगित करने का निर्णय लिया और इस निर्णय को तब भी संशोधित नहीं किया गया था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मामले में इस पर पुनर्विचार करने के कारण थे, इसलिए जम्मू-कश्मीर के मामले में भी समान मानदंड का पालन किया जाना चाहिए।

विस्तृत आपत्तियां

13. ये आपत्तियां हमारे ऐसे सुसंगत रुख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रस्तुत की गई हैं कि चूंकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, सी. ओ. 272, सी. ओ. 273 और अगस्त 2019 में किए गए अन्य उपायों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और उनकी संवैधानिक वैधता की जांच माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की जा रही है, वर्तमान परिसीमन कवायद न्यायिक संवीक्षा के तहत किसी कानून के कार्यान्वयन के समान होगी और माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक फैसला सुनाए जाने तक परिसीमन कवायद को रोका जाना चाहिए। यह बताया जाता है कि कागजात 1 और कागजात 2-6 की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और प्रारूप प्रस्ताव में केवल दिखावटी बदलाव किए गए हैं। इसलिए नए प्रत्युत्तर के साथ-साथ पहले से प्रस्तुत आपत्तियों को दोहराना पड़ता है।

विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र

14. नियमित अंतराल के बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। कानून बनाने वाली संस्थाओं में लोगों को समान प्रतिनिधित्व, निर्णय लेने और शासन में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी समान भागीदारी लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र को मजबूत करने में परिसीमन कवायद के महत्व को ध्यान में रखते हुए परिसीमन कवायद को स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। स्पष्टता, उद्देश्यपरकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विधिक ढांचे, निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए और यदि कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है तो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मानदंड निर्धारित किए जांए और अनुमोदित या निर्धारित मानदंड, जैसा भी मामला हो, को समान रूप से लागू किया जाए न कि चुनिंदा रूप से। यह इंगित करना पीड़ादायक है कि वर्तमान परिसीमन कवायद न तो संविधान के अनुरूप है और न ही कानून के अनुरूप है। चाहे वह 7 बढ़े हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन करने के मानदंड हों या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ खींचने के मानदंड हों, ये मानदंड मनमाने ढंग से तय किए गए हैं और चुनिंदा रूप से लागू किए गए हैं।

15. किसी भी परिसीमन कवायद के पीछे मूल सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में यथासंभव समान जनसंख्या हो। इसलिए, इसके निर्धारक मानदंड समीपस्थ जनसंख्या, कनेक्टिविटी, संचार, सुविधा, सुसंबद्ध क्षेत्र और अन्य कारण हैं। संविधान और कानून में इस स्थिति पर जोर दिया गया है जिसका विस्तृत संदर्भ कागजात 1 से 6 के जवाब में दिया गया है और इन्हें इन आपत्तियों/विसम्मतियों के साथ पढ़े जाने का अनुरोध किया जाता है। हालाँकि, चाहे अतिरिक्त सीटों का आवंटन हो या विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, इन सिद्धांतों की बहुत आसानी से अनदेखी की गई है। अनंतनाग, बडगाम, कुपवाड़ा और श्रीनगर में से प्रत्येक के लिए 1 सीट के साथ कुल 4 की पात्रता के मुकाबले कश्मीर को 7 बढ़ी हुई विधानसभा सीटों में से एक सीट आबंटित करने के प्रस्ताव से उन क्षेत्रों के बीच असमानता और असहमति पैदा होना तय है।

16. पिछले प्रत्युत्तर में चिह्नांकित किए गए आंकड़ों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की कुल जनसंख्या 1,22,67,348 है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कश्मीर डिवीजन की जनसंख्या 68,88,829 है और जम्मू डिवीजन की जनसंख्या 53,78,519 है। प्रति विधानसभा क्षेत्र की औसत जनसंख्या 1,36,304 आती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कश्मीर के डिवीजनों को आबंटित किए जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या और प्रति विधानसभा क्षेत्र की औसत जनसंख्या क्रमशः 51 (50.54) और जम्मू डिवीजन की 39 (39.45) होनी चाहिए। कश्मीर डिवीजन को आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 47 है या इसे आबंटित करने के योग्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से 4 कम है और जम्मू को आबंटित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 43 है या डिवीजन की जनसंख्या और प्रति विधानसभा क्षेत्र की औसत जनसंख्या को देखते हुए यथोचित से 4 अधिक है और कुल जनसंख्या के 56.15% वाले कश्मीर डिवीजन को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का केवल 52.22% मिल रहा